प्रेषक,

क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी / नोडल अधिकारी(सड़क सुरक्षा)
सेक्टर–एम, आशियाना (निकट स्मृति उपवन)
लखनऊ।

सेवा में,

(1) कुलसचिव,
समस्त राज्य / निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

(2) प्राचार्य / प्राचार्या,
समस्त राजकीय / अशासकीय सहायता प्राप्त / स्ववित्त पोषित महाविद्यालय,उत्तर प्रदेश।

(3)समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,उ0प्र0।

पत्रांकः– क्षे0का0ल0 / 1189-93 /2021–22 दिनांक 22.07.2021

विषयः– वर्ष में 4 सड़क सुरक्षा सप्ताह(त्रैमासिक) मनाये जाने हेतु प्रथम सड़क सुरक्षा सप्ताह दिनॉक 22.07.2021 से 28.07.2021 तक मनाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सॅख्या–1697 / तीस–3–2021 दिनॉक 20 जुलाई,2021 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वर्ष में 4 सड़क सुरक्षा सप्ताह (त्रैमासिक) मनाये जाने हेतु प्रथम सड़क सुरक्षा सप्ताह दिनॉक 22.07.2021 से 28.07.2021 तक तिथिवार निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मनाये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः उक्त शासनादेश के अनुपालन में अपेक्षित है कि कृपया शासन के उक्त पत्र दिनॉक 20 जुलाई,2021 में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार संलग्न वर्ष 2021–2022 में प्रथम सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाये जाने हेतु कार्यक्रमों की दिवसवार / विभागवार रूपरेखा के अनुसार सड़क सुरक्षा सप्ताह के कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः–उक्तवत् ।

भवदीय,
22/7/21

कृते–क्षेत्रीयउच्च शिक्षा अधिकारी / नोडल
अधिकारी(सड़क सुरक्षा),
लखनऊ।

पृ0सं0.क्षे0का0ल0 / 1189-93 /2021–22 तद्‌दिनॉक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, अपर परिवहन आयुक्त,(स0सु0)उत्तर प्रदेश।
2. शिक्षा निदेशक(उ0शि0)उ0प्र0,प्रयागराज।

22/7/21

कृते–क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी / नोडल
अधिकारी(सड़क सुरक्षा)
लखनऊ।

सेवा में,

प्राचार्य / प्राचार्या,
समस्त महाविद्यालय,
सम्बद्ध जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय,बलिया

महोदय / महोदया,

उपरोक्त पत्र के साथ संलग्न उत्तर प्रदेश शासन, परिवहन अनुभाग–3 के कार्यालय आदेश संख्या–1697 / तीस–3–2021, दिनांकः 20 जुलाई, 2021 के अनुक्रम दिनांकः 22.07.2021 से दिनांकः 28.07.2021 तक प्रथम **"सड़क सुरक्षा सप्ताह"** मनाये जाने का निर्देश हैं।

कृपया तद्क्रम में अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

(एस0एल0 पाल)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. माननीय कुलपति जी।
2. विश्वविद्यालय की बेवसाइट साइट एवं कालेज लागिन पर अपलोड करने हेतु।

कुलसचिव

Scanned with CamScanner

File No.30-3099/58/2020- -3-

महत्वपूर्ण

संख्या-1697/तीस-3-2021

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0 ।
2- समस्त उप पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0 ।
3- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 ।
4- पुलिस आयुक्त, लखनऊ / गौतमबुद्ध नगर।
5- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0 ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 20 जुलाई, 2021

विषयः-वर्ष में 4 सड़क सुरक्षा सप्ताह (त्रैमासिक) मनाये जाने हेतु प्रथम सड़क सुरक्षा सप्ताह दिनांक 22-07-2021 से 28-07-2021 को मनाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-406/30-3-20-135 एम/ 2017 दिनांक 20-03-2020 द्वारा प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में मृत व्यक्तियों की संख्या गत वर्ष की तुलना में कम से कम 10 प्रतिशत की कमी लाये जाने के लिए निर्देश दिये गये हैं। सड़क दुर्घटना के आंकडों के विश्लेषण में वर्ष 2020 में वर्ष 2019 के सापेक्ष जनपदों में सड़क दुर्घटनाओं में मृतकों/घायलों की संख्या में गिरावट दर्ज की गयी है।

2- उल्लेखनीय है कि मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की दिनांक 09-10-2020 को सम्पन्न बैठक में दिये गये निर्देश के क्रम में कोविड-19 से बचाव व सड़क सुरक्षा तथा यातायात नियमों के प्रति जनमानस के प्रति जागरूकता लाये जाने के उदेद्श्य से प्रत्येक त्रैमास में एक सड़क सुरक्षा सप्ताह अर्थात पूरे वित्तीय वर्ष में चार सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

Scanned with CamScanner

3- प्रदेश में घटित होने वाली सड़क दुर्घटनाओं व दुर्घटना में मृतकों की संख्या में कमी लाने हेतु नियमित रूप से सड़क दुर्घटनाओं की समीक्षा की जा रही है तथा मा0 सर्वोच्च न्यायालय कमेटी ऑन रोड सेफ्टी द्वारा भी इसकी नियमित बैठक कर समीक्षा की जाती है। वर्ष 2019 के सापेक्ष वर्ष 2020 में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में 19.56 प्रतिशत, मृतकों की संख्या में 15.48 प्रतिशत तथा घायलों की संख्या में 22.54 प्रतिशत की कमी लायी गयी है। वर्ष 2021 के मई माह तक के आंकड़ों के अनुसार गत वर्ष की तुलना में दुर्घटनाओं/मृत्यु/घायलों की संख्या में वृद्धि परिलक्षित होती है, जिसमें कमी लाये जाने के लिए निरन्तर गम्भीर प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत सोशल डिस्टेंसिंग को रखे जाने के उद्देश्य से किसी भी तरह के भीड़-भाड़ वाले कार्यक्रम जैसें- सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित वृहद कार्यशाला का आयोजन, रैली, बाइकोथान एवं नुक्कड़ नाटक आदि किया जाना सम्भव नहीं है, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक स्थान पर भीड़ न एकत्रित करते हुए लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किये जाने के उदे्दश्य से वर्तमान परिस्थितियों में सड़क सुरक्षा सप्ताह दिनांक 22-07-2021 से 28-07-2021 तक तिथियार निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मनाये जाने का निर्णय लिया गया है।

5- अतः अपेक्षा है कि कृपया संलग्न कार्यक्रम के अनुसार सड़क सुरक्षा सप्ताह के कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु यथा आवश्यक संबंधित विभागों से परस्पर समन्वय स्थापित करते हुए आवश्यक कार्यवाही की जाय तथा प्रिन्ट व इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से इसका व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित कराया जाय।

<u>संलग्नक-यथोक्त।</u>

Signed भवदीय,
कुमार तिवारी
Date: 20-07-2021 13:05:12
Reason: Approved

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 परिवहन मंत्री जी, उ0प्र0 शासन।

2- स्टाफ अफसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।

4 अपर मुख्य सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।

5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।

6- अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।

7- अपर मुख्य सचिव,/प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं परिवहन कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।

8- पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।

9- परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 लखनऊ।

10- निदेशक, यातायात, उ0प्र0 लखनऊ।

11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

20.07.21

(राजेश कुमार सिंह)

प्रमुख सचिव।

वर्ष 2021–2022 में प्रथम सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाये जाने हेतु दिनांक 22.07.2021 से <u>28.07.2021 तक के कार्यक्रमों की दिवसवार/विभागवार रूपरेखाः–</u>

दिवस	परिवहन विभाग	परिवहन निगम	पुलिस विभाग	समस्त निर्माण एजेंसियां ([illegible])	शिक्षा विभाग	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग चिकित्सा शिक्षा विभाग
प्रथम 22.07.2021 बृहस्पतिवार	उद्घाटन समारोह का आयोजन परिवहन विभाग के जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा समन्वय स्थापित करते हुए आयोजित किया जाये, जिसमें मुख्य अथिति के रूप मे जनपद के मा0 सांसद, मा0 विधायक, को आमंत्रित किया जाये और सभी संबंधित विभागों (समस्त निर्माण एजेंसी, शिक्षा विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग) के अधिकारियों को सम्मिलित किया जाये तथा परिवहन से जुड़े बस/ट्रक/आटो यूनियन, एनजीओ के पदाधिकारी, परिवहन निगम के चालक/परिचालक आदि को बुलाया जाये। सड़क सुरक्षा संबंधी प्रचार वाहन को मा0 जनप्रतिनिधि के द्वारा शुभारम्भ कराया जाये तथा कार्यक्रम के समापन में सड़क सुरक्षा शपथ ग्रहण कराया जायें। समस्त विभागों की सहभागिता सुनिश्चित की जाये।					
द्वितीय 23.07.2021 शुक्रवार	सभी बस/ट्रक/ऑटो/ई–रिक्शा तथा टैक्सी चालकों के यूनियन के पदाधिकारियों के साथ सड़क सुरक्षा पर जागरूकता कार्यक्रम सम्पन्न कराना ।	परिवहन विभाग के कार्यक्रम में अपेक्षित सहयोग प्रदान करना तथा	ऑटो रिक्शा, ई–रिक्शा बस एवं टैक्सी चालकों के संगठन के माध्यम से	रु0 एक करोड़ से अधिक लागत की निर्माणाधीन परियोजनाओं पर पड़ने वाले आबादी भाग में स्थानीय	उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में सड़क सुरक्षा संबंधित प्रतियोगिता की	सभी अस्पतालों में दोपहिया एवं चार पहिया वाहन चालकों (मरीज एवं तीमारदार) का नेत्र एवं सामान्य

		जागरूकता कार्यक्रम में निगम के चालक परिचालकों को शामिल कराना।	उनकी बैठक बुलाकर उन्हें यातायात नियमों के संबंध में जागरूक किया जाए।	लोगों के साथ सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन, जिसमें यातायात चिन्ह, सड़क सुरक्षा संबंधित नियम, स्लोगन का बताया जाना तथा कार्यक्रम के अन्त में सड़क सुरक्षा शपथ ग्रहण कराया जाना।	ब्लॉक स्तरीय ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन।	स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन।
तृतीय 24.07.2021 शनिवार	प्रदूषण जाँच केन्द्रों की चेकिंग व मानक से अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की चेकिंग।	परिवहन निगम के चालकों एवं परिचालकों की वर्दी में उपस्थिति कराकर उनके मध्य सड़क सुरक्षा से संबंधित विषयों पर क्विज कम्पटीशन कराया । जाना तथा परिवहन निगम के चालकों द्वारा उनके चालन के विशेष अनुभवों को साझा किया जाना। क्विज कम्पटीशन में विजेता को क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार दिया जाना।	वाहनों पर हूटर सॉयरन, प्रेशर हॉर्न एवं शीशों पर काली फिल्म का प्रयोग करने वालों के विरूद्ध चेकिंग अभियान।	वर्ष 2019 एवं वर्ष 2020 में चिन्हित ब्लैक स्पॉट का निरीक्षण तथा तात्कालिक सुधार वाले कार्यों को चिन्हित कर उन्हें पूर्ण कराया जाना।	सड़क सुरक्षा से संबंधित उच्च प्राथमिक विद्यालयों में राइमिंग कविता तथा माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में कविता का ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन।	सभी सरकारी एवं निजी मेडिकल कॉलेजों में सड़क सुरक्षा एवं कोविड एप्रोप्रीएट बीहेवियर एवं वेक्सीनेशन संबंधित विषयों पर क्विज प्रतियोगिता का आयोजन।
चतुर्थ 25.07.2021 रविवार	सीटबेल्ट एवं मोबाइल ड्रंकन ड्राइविंग के विरूद्ध सदभावना पूर्ण चेकिंग किया जाना तथा चेकिंग के दौरान उल्लंघन कर्ताओं को कोविड–19 से बचाव व सड़क सुरक्षा संबंधी वीडियो क्लिप को मोबाइल द्वारा दिखाया जाना।	निगम की बसों की फिटनेस की जाँच कर कमियों को दूर करना तथा सड़क सुरक्षा एवं कोविड–19 के दृष्टिगत बसों में सड़क सुरक्षा सम्बन्धी स्लोगनस् का लिखा जाना तथा बसों को सेनेटाइज किया जाना।	वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग, ड्रंकन ड्राइविंग के विरूद्ध चेकिंग अभियान। सीट बेल्ट का प्रयोग न करने के विरूद्ध चेकिंग अभियान।	वर्ष 2019 एवं वर्ष 2020 में चिन्हित ब्लैक स्पॉट का निरीक्षण तथा तात्कालिक सुधार वाले कार्यों को चिन्हित कर उन्हें पूर्ण कराया जाना।	माध्यमिक विद्यालयों एवं उच्च शिक्षा संस्थानों में सड़क सुरक्षा सम्बन्धी पोस्टर प्रतियोगिता का ऑनलाइन आयोजन।	सभी अस्पतालों में सार्वजनिक यात्री वाहन एवं एम्बुलेंस चालकों का नेत्र एवं सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन।

Scanned with CamScanner

पंचम 26.07.2021 सोमवार	पूर्वाह्न– परिवहन निगम के अधिकारियो के सहयोग से प्रमुख बस स्टेशन पर कोविड 19 से बचाव व सड़क सुरक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम का आयोजन जिसमे चालकों/परिचालकों एवं यात्रीगणों को जागरूक किया जाए तथा परिवहन निगम के चालकों हेतु बस स्टेशन पर ही हैल्थ कैंप का आयोजन किया जाए जिसमें उनको कोविड–19 के बचाव की जानकारी प्रदान की जाए। अपराह्न– अनधिकृत रूप से संचालित बसों के विरूद्ध चेकिंग अभियान।	परिवहन निगम के बस स्टेशनों पर कोविड 19 से बचाव व सड़क सुरक्षा संबंधी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन तथा चालकों का स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन कराना।	अनधिकृत रूप से संचालित बसों के विरूद्ध चेकिंग अभियान मे परिवहन विभाग का सहयोग करना। राजमार्गो पर सड़क के किनारे स्थित ढाबों व ट्रक चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जाए। राजमार्गों पर अवैध रूप से खड़े वाहनों के विरूद्ध अभियान।	वर्ष 2019 एवं वर्ष 2020 में चिन्हित ब्लैक स्पॉट का निरीक्षण तथा तात्कालिक सुधार वाले कार्यों को चिन्हित कर उन्हें पूर्ण कराया जाना।	उच्च प्राथमिक विद्यालय के छात्र सड़क सुरक्षा पर कार्टून की प्रतियोगिता तथा माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा संस्थानो मे सड़क सुरक्षा से संबंधित डिजिटल कोलॉज (Digital Collage) बनाने की ऑनलाइन प्रतियोगिता	ए०आर०टी०ओ०, संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) तथा सी०एम०ओ० द्वारा अधिकृत चिकित्सा अधिकारी की संयुक्त टीम द्वारा सभी 108 (बी०एल०एस०), ए०एल०एस० एवं सरकारी एम्बुलेंसों का मानदण्ड के अनुसार निरीक्षण।
षष्ठम 27.07.2021 मंगलवार	सेव लाइफ फाउण्डेशन के सहयोग से सभी 75 जनपदों को जोड़ते बस/ट्रक/टैम्पों/ऑटो/ई–रिक्शा चालकों को फर्स्ट रिसपान्डर का प्रशिक्षण दिया जाना। प्रशिक्षणोपरान्त प्रश्नकाल का आयोजन, जिसमें उपस्थित सभी वाहन चालकों द्वारा शहर के भीतर अथवा राजमर्ग पर वाहन चलाते समय आने वाली कठिनाईयों से संबधित प्रश्न पूछे जायेगें व सुझाव दिये जायेगे तथा समापन सड़क सुरक्षा शपथ ग्रहण द्वारा की जायेगी।	निगम के अधिकारियों द्वारा ड्रंकन ड्राइविंग के अन्तर्गत अपने चालकों की चेकिंग करना तथा उन्हें नशा करके वाहन न चलाये जाने के प्रति जागरूक करना।	बिना हेल्मेट व तीन सवारी के साथ दोपहिया वाहन चलाने के विरूद्ध अभियान, ड्रंकन ड्राइविंग के विरूद्ध चेकिंग।	वर्ष 2019 एवं वर्ष 2020 में चिन्हित ब्लैक स्पॉट के सत्यापन हेतु अवशेष ब्लैक स्पॉट्स का सत्यापन कर सड़क निर्माण एजेंसी/विभाग का निर्धारण एवं सभी ब्लैक स्पॉट का विश्वकर्मा एप में अंकन का कार्यपूर्ण कराया जाये।	उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विद्यालयों में सड़क सुरक्षा नियमों से संबधित क्विज प्रतियोगिता का ऑनलाइन आयोजन।	ढ़ाबा, टोल प्लाजा पर कार्य करने वाले लोगों, एवं आस–पास रहने वाले अन्य स्वैच्छिक व्यक्तियों को सेव लाइफ फाउण्डेशन के माध्यम से फर्स्ट रिस्पांडर ट्रेनिंग, कोविड एप्रोप्रीएट बीहेवियर एवं वेक्सीनेशन की जानकारी दिया जाना।
सप्तम 28.07.2021 बुधवार	पूर्वान्ह– ओवर लोडिंग, सड़क के किनारे खड़े अवैध वाहनों एवं रिट्रोरिफलेक्टिव टेप की सद्भावना पूर्ण चेकिंग किया जाना तथा उल्लंघन कर्ताओं को वीडियों क्लिप का मोबाइल द्वारा दिखाया जाना। अपराह्न– समापन समारोह– टैम्पो/टैक्सी यूनियन एवं ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के साथ विचार गोष्ठी, जिसके अन्तर्गत कोविड–19 से बचाव व सुरक्षित सड़क, सुरक्षित प्रदेश विषय पर जानकारी दिया जाना।	परिवहन निगम की बसों में रिट्रो–रिफलेक्टिव टेप का लगाया जाना तथा चालक/परिचालक के बच्चों के मध्य सभी डिपों में कोविड–19 से बचाव एवं सड़क सुरक्षा विषय पर पेंटिंग स्लोगन राइटिंग काम्पटीशन का आयोजन कराना तथा क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय विजेता	ट्रैक्टर–ट्राली पर स्वयं सेवी संस्थाओं अथवा किसी अन्य संस्थान/कम्पनी से प्रायोजित कराकर निःशुल्क रिट्रो–रिफलेक्टिव टेप को लगाने हेतु प्रेरित किया जाय एवं लगवाया जाए।	सभी टोल प्लाजा पर नेत्र परीक्षण एवं सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण हेतु स्वास्थ्य शिविर का आयोजन।	ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से सभी विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा शपथ दिलाई जाये। विद्यार्थियों द्वारा बनाये गये समस्त प्रतियोगिताओं का मूल्यांकन व पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन इस सम्बध में परिवहन विभाग के जनपद स्तरीय अधिकारी सहायक	ए०आर०टी०ओ०, संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) तथा सी०एम०ओ० द्वारा अधिकृत चिकित्सा अधिकारी की संयुक्त टीम द्वारा सभी निजी एम्बुलेंस व एन०एच०ए०आई, यूपीडा, पीडा एवं उपशा की एम्बुलेंस का उपकरण एवं मानव संसाधन का मानदण्ड के अनुसार निरीक्षण एवं निर्धारित किराये के अनुसार संचालन

Scanned with CamScanner

		बच्चों को पुरस्कृत किया जाना।			सम्भागीय परिवहन अधिकारी(प्रवर्तन) द्वारा समस्त आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करायी जायेगी।	का निरीक्षण।

पृ०सं०– 1041 स०सु०/2021 दिनांक 20 जुलाई,2021

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं बैठक में सुसंगत सूचनाओं सहित प्रतिभाग करने हेतु प्रेषित।

1 समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2 समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3 पुलिस आयुक्त, लखनऊ/गौतमबुद्ध नगर।
4 समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।
5 प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
6 अपर पुलिस महानिदेशक, यातायात, यातायात निदेशालय, उ0प्र0।
7 नोडल अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
8 नोडल अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश।
9 नोडल अधिकारी, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश।
10 नोडल अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश।
11 नोडल अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश।
12 नोडल अधिकारी, बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश।
13 नोडल अधिकारी, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश।
14 समस्त अपर परिवहन आयुक्त (प्रशासन/प्रवर्तन/राजस्व/आई0टी0), मुख्यालय।
15 समस्त उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र), उ0प्र0।
16 समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रशासन/प्रवर्तन), उ0प्र0।
17 समस्त सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रशासन/प्रवर्तन), उ0प्र0।

(डी0के0 सोनकिया),
अपर परिवहन आयुक्त (स0सु0),
उत्तर प्रदेश।

Scanned with CamScanner